



संख्या : 2754/जी0एस0(शिक्षा) / A3-31(1) / 2019

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,  
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून, दिनांक 14 जनवरी, 2025

महोदय,

कृपया कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्र संख्या : 725, दिनांक 16.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, लॉ कॉलेज, बाजपुर रोड़, काशीपुर को एल0एलबी0 एवं बी0बी0ए0एल0एलबी0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, लॉ कॉलेज, बाजपुर रोड़, काशीपुर।	एल0एलबी0 (त्रिवर्षीय)	60 सीट	2022-23
		बी0बी0ए0-एल0एलबी0 (पंचवर्षीय)	60 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2024-25 के अन्त तक संस्थान से प्रामूति राशि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 में निहित व्यवस्थानुसार बंधक रखवाते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा।



- विश्वविद्यालय, संस्थान में समस्त अपूर्ण मानकों को शैक्षिक सत्र 2024-25 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा, यदि विश्वविद्यालय अपूर्ण मानकों के साथ अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव प्रेषित करता है तो किसी भी परिस्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by

भवदीया,

Swati Srivastava Bhadauria

Date: 14-01-2025 14:05:20 (स्वाति एस0 भदौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 2754(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-31(1)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Signed by

आज्ञा से,

Shri Laxman Ram Arya

Date: 14-01-2025 14:53:49 (लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के अनुसचिव।